प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26-07-2022

विषय- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23627/सामा-1(7)/अलीगढ़/03बंदी/2022, दिनांक 20-07-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित कारागार का नाम
1	2	3	4
01	लॉरेन्स युसुफ पुत्र श्री ललित युसुफ	जिला कारागार, अलीगढ़	जिला कारागार, अयोध्या
02	विनोद जाट पुत्र श्री राजवीर सिंह	जिला कारागार, अलीगढ़	केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज
03	मोना ठाकुर पुत्र श्री रहीशपाल	जिला कारागार, अलीगढ़	जिला कारागार, खीरी

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़/अयोध्या/प्रयागराज/लखीमपुर खीरी।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़/अयोध्या/प्रयागराज/लखीमपुर खीरी।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज, जिला कारागार, अयोध्या, खीरी।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, अलीगढ़ से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।